सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष . 0135-2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

रोशन लाल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0),
(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

संख्या 1980/रा0नि0आ0-2/2677/2019 देहरादून दिनांक 20 सितम्बर, 2019

विषयः-त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2019 में निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या 1969/रा0नि0आ0अनु0-2/09/2003 दिनांक 15.03.2003 में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 के लिए आयोग द्वारा 24 वैकल्पिक दस्तावेज तथा आयोग के निर्देश (संशोधन) संख्या 3228/रा0नि0आ0-2/1395/2013 12 फरवरी, 2014 में 01 अतिरिक्त क्रम संख्या-25 आधार कार्ड जोड़ा गया है, जिसका पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका-2019 के अध्याय 12 में उल्लेख किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध मे मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे निर्वाचकों द्वारा अपनी पहचान संबंधित पीठासीन अधिकारी या ज्येष्ठ मतदान अधिकारी/अन्य मतदान अधिकारी, जिसे पीठासीन अधिकारी ने प्राधिकृत किया है, की संतुष्टि में अन्यथा स्थापित हो जाती है, उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आयोग द्वारा उक्त पत्रों में उल्लिखित वैकल्पिक दस्तावेजों के क्रम को निम्नानुसार संशोधित करते हुए 25 (पच्चीस) वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किये जाते हैः-

1. आधार कार्ड।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र (EPIC Card)।
3. पासपोर्ट।
4. ड्राईविंग लाइसेंस।
5. आयकर पहचान-पत्र(PAN Card)।
6. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी ओद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान-पत्र।

क्रमशः......2

7. बैंक/डाकघर पासबुक।
8. राशन कार्ड।
9. भूमि–भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज/भवन कर बिल।
10. छात्र पहचान–पत्र/लाईब्रेरी कार्ड।
11. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनु0जाति/अनु0जन जाति प्रमाण–पत्र।
12. शस्त्र लाईसेंस।
13. पेंशन दस्तावेज/पेंशन अदायगी दस्तावेज।
14. भूतपूर्वक सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र।
15. रेलवे/बस पास।
16. शारीरिक रूप से अपंगता/दिव्यांग प्रमाण–पत्र।
17. स्वतंत्रता सेनानी पहचान–पत्र।
18. टेलीफोन बिल/पानी का बिल/बिजली का बिल।
19. दुकान पंजीकरण पत्र।
20. गैस कनेक्शन (ब्ल्यू बुक)।
21. अन्नपूर्णा योजना कार्ड।
22. परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस।
23. परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण।
24. निवास का प्रमाण–पत्र।
25. राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति लेखपाल/संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग द्वारा अधिकृत किया जाता है।

3. कृपया तद्नुसार समस्त निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं समस्त निर्वाचकों/मतदाताओं को अवगत कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आयोग द्वारा जारी पूर्व आदेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या /रा0नि0आ0–2/2677/2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0),(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय,),(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
6. वेब इन्फाफमेंशन मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(रोशन लाल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष . 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

रोशन लाल,

सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी /

जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0),

(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

उत्तराखण्ड।

संख्या 1980/रा0नि0आ0–2/2677/2019 देहरादून दिनांक20 सितम्बर, 2019

विषयः–त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2019 में निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या 1969/रा0नि0आ0अनु0–2/09/2003 दिनांक 15.03.2003 में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2019 के लिए आयोग द्वारा 24 वैकल्पिक दस्तावेज तथा आयोग के निर्देश (संशोधन) संख्या 3228/रा0नि0आ0–2/1395/2013 12 फरवरी, 2014 में 01 अतिरिक्त क्रम संख्या–25 आधार कार्ड जोड़ा गया है, जिसका पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु निर्देश पुस्तिका–2019 के अध्याय 12 में उल्लेख किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध मे मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे निर्वाचकों द्वारा अपनी पहचान संबंधित पीठासीन अधिकारी या ज्येष्ठ मतदान अधिकारी/अन्य मतदान अधिकारी, जिसे पीठासीन अधिकारी ने प्राधिकृत किया है, की संतुष्टि में अन्यथा स्थापित हो जाती है, उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आयोग द्वारा उक्त पत्रों में उल्लिखित वैकल्पिक दस्तावेजों के क्रम को निम्नानुसार संशोधित करते हुए 25 (पच्चीस) वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किये जाते हैं:–

1. आधार कार्ड।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये निर्वाचक फोटो–पहचान पत्र (EPIC Card)।
3. पासपोर्ट।
4. ड्राईविंग लाइसेंस।
5. आयकर पहचान–पत्र(PAN Card)।
6. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी ओद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान–पत्र।

क्रमशः.......2

7. बैंक/डाकघर पासबुक।
8. राशन कार्ड।
9. भूमि–भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज/भवन कर बिल।
10. छात्र पहचान–पत्र/लाईब्रेरी कार्ड।
11. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनु0जाति/अनु0जन जाति प्रमाण–पत्र।
12. शस्त्र लाईसेंस।
13. पेंशन दस्तावेज/पेंशन अदायगी दस्तावेज।
14. भूतपूर्वक सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र।
15. रेलवे/बस पास।
16. शारीरिक रूप से अपंगता/दिव्यांग प्रमाण–पत्र।
17. स्वतंत्रता सेनानी पहचान–पत्र।
18. टेलीफोन बिल/पानी का बिल/बिजली का बिल।
19. दुकान पंजीकरण पत्र।
20. गैस कनेक्शन (ब्ल्यू बुक)।
21. अन्नपूर्णा योजना कार्ड।
22. परिवहन प्राधिकारियों द्वारा जारी संवाहक लाइसेंस।
23. परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण।
24. निवास का प्रमाण–पत्र।
25. राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान पत्र तथा विधानसभा निर्वाचन की भांति लेखपाल/संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचक की पहचान हेतु आयोग द्वारा अधिकृत किया जाता है।

3. कृपया तद्नुसार समस्त निर्वाचन अधिकारियों/सहायक निर्वाचन अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों एवं समस्त निर्वाचकों/मतदाताओं को अवगत कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आयोग द्वारा जारी पूर्व आदेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(रोशन लाल)
सचिव।

संख्या 1990/रा0नि0आ0–2/2677/2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0),(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय,),(हरिद्वार को छोड़कर), उत्तराखण्ड।
6. वेब इन्फाफमेंशन मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(रोशन लाल)
सचिव।